मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/स्थापना/अ-1/722/567 भोपाल, दिनांक 29/08/2023

-: आदेश :-

श्री देवलाल पाटले, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति लालबर्रा जिला बालाघाट वर्तमान में कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा जिला बालाघाट में पदस्थ होकर लोकसेवक है। शिकायतकर्ता -श्री संजय अग्रवाल पिता स्व. श्री धन्नालाल अग्रवाल लालबर्रा द्वारा मंडी का सालाना असेसमेंट कराने के एवज में श्री पाटले द्वारा रिश्वत की मांग की गई।

पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोक आयुक्त कार्यालय जबलपुर का पत्र क्रमांक/1836/पु.अ./विपुस्था/2023 दिनांक 27.06.2023 से प्राप्त सूचना अनुसार श्री देवलाल पाटले, सहायक उपनिरीक्षक के विरूद्ध अपराध प्रकरण क्रमांक 175/2019, धारा-7, (क) 12,13(1)बी 13(2) पी.सी. एक्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(संशोधित 2018) के तहत घटित होना पाये जाने से अधिनियम की धारा 19(1) बी.सी. के अंतर्गत म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के आदेश क्रमांक/स्था-2/अ-1/722/253-254 दिनांक 11-05-2023 से अभियोजन हेतु दी गई स्वीकृति के आधार पर लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर द्वारा श्री देवलाल पाटले, सहायक उपनिरीक्षक, कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा जिला-बालाघाट के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय बालाघाट जिला बालाघाट में दिनांक 23.06.2023 को चालान पेश किया गया है जिसका विशेष प्रकरण क्रमांक 04/2023 है।

उपरोक्त के आधार पर श्री देवलाल पाटले, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मण्डी समिति लालबर्रा जिला बालाघाट को म0प्र0 राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 35 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री देवलाल पाटले, सहायक उपनिरीक्षक का निलंबन अवधि में मुख्यालय म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर रहेगा। निलंबन अवधि में सेवा विनियम के विनियम 36 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। जिसका भुगतान म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय सागर के प्रमाणीकरण के आधार पर कृषि उपज मंडी सिमति लालबर्रा जिला बालाघाट से देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

29/08/23
(श्रीमन शुक्ला)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\HARSHA DATA\E Disk\Karmik\Rajeshmistry-1\order\ORDER SUSPAND.doc

क्रमांक/स्थापना/अ-1/722/568 भोपाल, दिनांक 29/08/2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01 विशेष सहायक मान. मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सह-अध्यक्ष मंडी बोर्ड भोपाल

02 अवर सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर पत्र क्रमांक/2023/14-2/823 दि. 11.07.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

03 निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

04 पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।

05 पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर, संभाग जबलपुर के पत्र क्रमांक 1836 दिनांक 27-06-2023 के संबंध में सूचनार्थ।

06 अपर संचालक, (वि.जॉच) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल इन्हें निर्धारित समयावधि मे आरोप पत्रादि जारी करें।

07 संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ।

08 संयुक्त संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय जबलपुर, की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री देवलाल पाटले, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा, जिला-बालाघाट के विरूद्व 15 दिवस में आरोप पत्र इत्यादि तैयार करवाकर अपर संचालक (विभागीय जॉच) मुख्यालय भोपाल को समयावधि में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

09 सचिव, कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा, जिला-बालाघाट।

10 श्री देवलाल पाटले, सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति लालबर्रा, जिला-बालाघाट की ओर पालनार्थ।

11 आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/विभागीय जाँच/गो.च./विधी/कम्प्यूटर शाखा मंडी बोर्ड भोपाल।

29/08/23

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

D:\HARSHA DATA\E Disk\Karmik\Rajeshmistry-1\order\ORDER SUSPAND.doc